

HINDUSTAN TIMES
(26 SEPTEMBER 2020)



**H.P. STATE POLLUTION CONTROL BOARD
HIM PARIVESH, PHASE-III
NEW SHIMLA - 171009**

Public Notice

According to the provisions of EIA Notification No. SO 1533 dated 14.09.2006, HP State Pollution Control Board invites suggestions, views, comments and objections on the proposal of M/s. Salluj Jal Vidyut Nigam Limited for Sunni Dam HEP (382 MW) in Mandi & Shimla Districts of Himachal Pradesh. The aforesaid Project Proponent has submitted Executive Summary (both in Hindi and English) and Environment Impact Assessment Report (in English only) related to the aforesaid unit for the purpose of perusal by all concerned.

Local affected persons and others having plausible stake in the environmental impacts of the project may inspect the Executive Summary available (both in Hindi and English) and Environmental Impact Assessment Report (in English only) as submitted by the project proponent in the offices of: (i) The Director (Environment, S&T), Department of Environment, Science & Technology, Paryavaran Bhawan, US Club, Shimla (ii) District Magistrate, Shimla Distt. Shimla, HP & Mandi Distt. Mandi, HP (iii) The Chairman, Zila Parishad, Shimla Distt. Shimla, HP & Mandi, Distt. Mandi, HP (iv) The District Industries Centre, Shimla Distt. Shimla, HP & Mandi, Distt. Mandi, HP (v) The Regional Office, Ministry of Environment & Forests, Pearson Road, FRI Campus, New Forest, Dehradun-248006 (vi) The Assistant Environmental Engineer, HPSPCB, Rampur, Distt. Shimla, HP and Bilaspur, Distt. Bilaspur, HP (vii) Headquarter of the H.P. State Pollution Control Board, "Him Parivesh" Phase-III, New Shimla-171009 during normal working hours on any working day till the Public Hearing is over.

In addition to this, these documents are also available in the office of the Sub Divisional Magistrate, Shimla (Rural), Distt. Shimla, HP & Karsog, Distt. Mandi, HP and on the website of the State Board (www.hppcb.nic.in). Suggestions, views, comments and objections from local affected persons and others having plausible stakes in the Environment Impacts of the Project will be accepted by the State Board up to **28.10.2020**.

Environmental Public Hearing related to the above-mentioned project is proposed for Shimla Distt. at Panchayat Ghar Ogli, Tehsil Sunni, Distt. Shimla HP on **28.10.2020 at 11.30 AM** and for Distt. Mandi at Village Parlog, Tehsil Karsog, Distt. Mandi, HP on **30.10.2020 at 11.00 AM**. The Public Hearing can also be attended virtually by link provided on the official site of the State Board (www.hppcb.nic.in) under the tab of "Public Hearing".

Local affected persons and others having plausible stake in the environment impacts of the project are also invited to participate in the aforesaid Public Hearing. The traveling and incidental costs to attend the Public Hearing shall be borne by the participants themselves.

(Aditya Negi, IAS)
Member Secretary

अमर उजाला
(26 SEPTEMBER 2020)



हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हिम परिवेश, चरण-3, न्यू शिमला-171009 सार्वजनिक सूचना

भारत सरकार द्वारा जारी ई. आई. ए (EIA) अधिसूचना संख्या: कां.आ. 1533 (अ) दिनांक 14-09-2006 के प्रावधानों के अनुसार हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, श्रीयुत एस0जे0वी0एन0 के सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना 382 मेगावाट, जिला शिमला व जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश के प्रस्ताव पर सार्वजनिक सुझाव, विचार, टिप्पणियां एवं आपत्तियां आमंत्रित करता है। उपरोक्त परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावकों द्वारा आवेदन पत्र एवं कार्यकारी सारांश (हिन्दी व अंग्रेजी) में तथा परियोजना के पर्यावरण प्रभाव निर्धारण रिपोर्ट (अंग्रेजी में) प्रस्तुत किए गए हैं।

स्थानीय प्रभावित व्यक्ति एवं परियोजना के पर्यावरणीय प्रभावों के अन्य समुचित स्वायत्तधारी परियोजना के प्रबन्धकों द्वारा प्रस्तुत कार्यकारी सारांश (हिन्दी व अंग्रेजी) में तथा परियोजना के पर्यावरण प्रभाव निर्धारण रिपोर्ट (अंग्रेजी में) की जांच हेतु: (i) निदेशक, पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, शिमला, 171001, हिमाचल प्रदेश; (ii) जिला दण्डाधिकारी, जिला शिमला व जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश; (iii) अध्यक्ष जिला परिषद, जिला शिमला व जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश; (iv) जिला आद्योगिक केन्द्र, जिला शिमला व जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश; (v) क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पियर्सन रोड एफ0 आर0 आई0 कैम्पस, न्यू फोरेस्ट देहरादून-248006 (vi) स0 पर्यावरण अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रामपुर व बिलासपुर हिमाचल प्रदेश, व (vii) मुख्य कार्यालय, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, "हिम परिवेश" चरण-3 न्यू शिमला-171009, हिमाचल प्रदेश के कार्यालयों में किसी भी कार्य दिवस पर सामान्य दैनिक कार्यकाल में जन सुनवाई सम्पन्न होने तक सम्पर्क कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त उपरोक्त दस्तावेज राज्य बोर्ड की वेबसाइट (Wevsite:www.hppcb.nic.in) के अलावा उपमण्डल शिमला (ग्रामीण) व करसोग, जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में भी जनसाधारण के अवलोकनार्थ हेतु उपलब्ध हैं। राज्य बोर्ड द्वारा स्थानीय प्रभावित व्यक्तियों एवं परियोजना के पर्यावरणीय प्रभावों के अन्य समुचित स्वायत्तधारी से सुझाव, विचार, टिप्पणियां व आपत्तियां 28-10-2020 तक प्राप्त की जाएंगी।

इस इकाई से सम्बन्धित पर्यावरण जन सुनवाई का आयोजन दिनांक 28-10-2020 11:30 बजे जिला शिमला के लिए पंचायत घर ओगली, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश तथा जिला मण्डी के लिए दिनांक 30-10-2020, 11:00 बजे गांव परलोग तहसील करसोग जिला मण्डी में प्रस्तावित है। जन सुनवाई में भाग राज्य बोर्ड की वेबसाइट (Wevsite:www.hppcb.nic.in) में दिये गये लिंक के अन्तर्गत "जन सुनवाई" टैब के द्वारा भी लिया जा सकता है।

स्थानीय प्रभावित व्यक्तियों एवं परियोजना के पर्यावरणीय प्रभावों के अन्य समुचित स्वायत्तधारी उपरोक्त सार्वजनिक सुनवाई में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। सार्वजनिक सुनवाई में भाग लेने हेतु समस्त यात्रा प्रासंगिक व्यय हिस्सा लेने वालों को स्वयं वहन करना होगा।

आदित्य नेगी, भा0 प्र0 से0
सदस्य सचिव